

फर्द अहकाम



रामकरण

बनाम

छिम्मा देवी वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

प्रकरण संख्या ४४.../2021 दावा घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15.09.2021	<p>वादी की ओर से वादपत्र जरिये अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक ...1४-१०-२१ को पेश हों ।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. </p> <p>510/21</p> <p>आज तक पत्रावली उच्चासंगमों के सगे अतिमान केम्य मनोहर ठर मे पेश हुई, उकरण मे बादी द्वारा वादपत्र पेश करने का पेश किया। बादी द्वारा उकरण को नभे सिरे से पेश करना चांता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र अगरी पारमिक अवस्था मे है। उक्तिविक्रम की वजह से नहीं हुई है। अब बादी का वादपत्र नभे सिरे से दावा पेश करने की अनुमति के साथ वादपत्र स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली के सलह आर दौकर उबर लेता हूँ।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. </p>	<p>21/10/20</p>